छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

<u>*अपील प्रकरण कमांक 979/2007*</u>

1.	**श्री विजय कुमार दुबे,** **संजू कोचिंग सेन्टर, क्लबपारा,** **महासमुंद, जिला-महासमुंद (छत्तीसगढ़)**	-	*अपीलार्थी*

विरूद्ध

1.	***जन सूचना अधिकारी,*** **छ0ग0 शासन,** **विधि एवं विधायी कार्य विभाग,** **मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)**	-	*प्रति अपीलार्थी*

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 08 मई, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री विजय कुमार दुबे द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, छ0ग0 शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर उन्हें जानकारी नही मिलने के कारण प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11.09.2007 से उक्त अपील निरस्त की गई, उससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 17.10.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में जानकारी इसलिए प्रदान नही की कि आवेदक ने जो जानकारी चाही थी, वह सूचना की श्रेणी में नही आती है, इसी आधार पर प्रथम अपील भी निरस्त की गई है । जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी का यह तर्क स्वीकार योग्य है कि नियमों के अन्तर्गत विधि विभाग का कार्य राज्य शासन के शासकीय विभागों को ही सलाह देने का है तथा किसी प्रायवेट व्यक्ति को उनके द्वारा सलाह दिया जाना उनके कार्य में सम्मिलित नही है, जबकि अपीलार्थी कई बिन्दुओं पर सीधे विधि विभाग से ही सलाह सूचना का अधिकार के अन्तर्गत माँग रहे हैं । अपीलार्थी भी अपने पक्ष में और कोई सबल तर्क प्रस्तुत नही कर पाये हैं, अतः अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही है, अतः जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है ।

2/ अत: उपरोक्त आधार पर उक्त अपील निरस्त की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त